अति आवश्यक
तिथिबद्व

Reminder – II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

1958
12/9/19

सेवा में

श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग,
हरियाणा ।

L-C
11-9-19

यादि कमांक 6/2/1989–2एन0जी0आई0एस0
दिनांक, चण्डीगढ़ 9 सितम्बर, 2019

विषयः– नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235–सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर–उप शीर्ष–200–अण्डर स्कीम–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत **Book Adjustment** न किए जाने बारे ।

ALC(H)
12-9-19

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 6/2/1989– 2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31–05–2019, 12–07–2019, 30–07–2019 तथा 21–08–2019 के संदर्भ में ।

उक्त पत्रों द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 12-09-2019 तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा नव सचिवालय, सैक्टर–17, चण्डीगढ को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई–मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें । परन्तु सरकार द्वारा वांछित सूचना आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुए सरकार को वांछित सूचना अविलम्ब प्रदान करने का कष्ट करें ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

अवर सचिव, प्रोटोकोल
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

B-2

(Reminder)

LABOUR COMMISSIONER HARYANA CHANDIGARH Reminder II

Endst No. Actt/2019/ 28807-59 Dated: 13-9-19

इसकी एक प्रति श्रम हरियाणा के डी.डी.ओ को भेजकर सूचित किया जाता है कि मांगी गई सूचना प्रफोर्म में दिनांक 13.09.2019 तक मुख्यालय में आवश्यक भेजे, ताकि रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा को भेजी जा सके। देरी के लिए सम्बन्धित डी.डी.ओ जिम्मेबार होगें।

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hisar.
4. Dy. Director(IS&H) Ambala, Panipat, Gurgaon-I and Hisar.
5. Assistant Labour Commissioner, Kurukshetra, Sonepat-I, Bahadurgarh, Palwal, Kaithal and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Karnal, Mewat, Rewari, Sonepat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.